

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ-3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के अंक 301 के ऊपर वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार जनवरी, 2023 से जून, 2023 के औसत सूचकांक 386 पर दिनांक 01-10-2023 से 31-03-2024 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा :-

$$(386-301) \times 20 = 1700.00$$

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू०
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वाणिज्य अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन	309 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
2.	सडकों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन	310 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
3.	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।	311 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
4.	चिकन के कार्य में नियोजन।	तदैव	1700.00
5.	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	तदैव	1700.00
6.	आइसकैन्डी/आईस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1700.00
7.	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1700.00
8.	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1700.00
9.	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1700.00
10.	लाण्डी या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव	1700.00
11.	जिल्दसाजी में नियोजन।	तदैव	1700.00
12.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	तदैव	1700.00
13.	पाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव	1700.00

(2)

14.	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन	312/VIII/19-228 (श्रम)/2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
15.	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
16.	मिष्ठान्न उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
17.	वासित पेयों (एस्टेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव	1700.00
18.	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1700.00
19.	परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
20.	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	तदैव	1700.00
21.	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन	तदैव	1700.00
22.	सिले सिलाए कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1700.00
23.	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	तदैव	1700.00
24.	प्राइवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राइवेट दुकानों में नियोजन	तदैव	1700.00
25.	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
26.	धातु उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
27.	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
28.	ऐसे अभिनियंत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।	तदैव	1700.00
29.	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव	1700.00
30.	कपड़ा छपाई में नियोजन	313/VIII/19-228 (श्रम)/2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
31.	क्लबों में नियोजन	314/VIII/19-228 (श्रम)/2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
32.	निजी मुद्रणालयों में नियोजन	315/VIII/19-228 (श्रम)/2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00

(3)

33.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	316 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
34.	उत्तराखण्ड में यांत्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन।	तदैव	1700.00
35.	उत्तराखण्ड में आटोमोबाईल रिपेयर्स में नियोजन।	तदैव	1700.00
36.	सिनेमा उद्योग में नियोजन।	317 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
37.	सिलाई उद्योग में नियोजन	318 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
38.	एलोपैथिक, आर्युवेदिक और यूनानी फार्मसियों में नियोजन	319 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
39.	छोटा मिनियेचन बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्मे की शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन।	320 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
40.	धर्मशालाओं में नियोजन	321 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
41.	निजी पुस्तकालयों में नियोजन	322 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
42.	होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन	323 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
43.	प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थाओं में नियोजन।	324 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
44.	चाय बागान में नियोजन	325 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
45.	हौजरी उद्योग में नियोजन	326 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
46.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	327 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
47.	किसी तेल मिल में नियोजन	तदैव	1700.00
48.	किसी रोलर आटा मिल में नियोजन	तदैव	1700.00
49.	वनिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन	328 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
50.	ईट भट्ठा उद्योग में नियोजन	329 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00

(4)

51.	काष्ट कार्य और फर्नीचर में नियोजन	330 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
52.	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	331 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
53.	कालीन बुनाई में नियोजन	332 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
54.	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के चूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन	333 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
55.	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन	तदैव	1700.00
56.	खाण्डसारी में नियोजन	तदैव	1700.00
57.	हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग में नियोजन	334 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या : 3312 / 4-01 / 13

दिनांक : 26-4-23

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

न्यूनतम वेतन अधिनियम में आवर्त नियोजन में देय भत्ता।

राजाज्ञा संख्या : 430/VIII/15-40(श्रम)/2008, दिनांक : 15 जुलाई, 2015 एवं 1044(1)/VIII/15-40(श्रम)/2008, दिनांक : 30 जुलाई, 2015 के अनुसार कृषि के नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के आधार पर माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 के 253 अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 पर ₹20 प्रति अंक की दर पर दिनांक : 01-10-2023 से 31-03-2024 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा :-

$$(386-253) \times 20 = 2660.00$$

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी

संख्या : 3308 /4-1/2012

दिनांक : 26-9-23

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराये तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।